

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/द्वारा फैक्स/ईमेल/क्यूमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था०-ग्री०का०/२०१८(लि०सं०) /२५३

दिनांक:जनवरी २०१८, 2018

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2018 के अन्तर्गत जोनल एवं इकाई प्रभारी के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरण एवं अनुकम्पा के आधार पर लिपिक संवर्ग के निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) पुलिस निरीक्षक(लिपिक)
- (2) पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक)
- (3) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
- (4) पुलिस निरीक्षक(लेखा)
- (5) पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा)
- (6) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
- (7) पुलिस निरीक्षक(गोपनीय)
- (8) पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय)

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 28.02.2018 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक एवं साफ्ट कापी E Mail ID- digkarmik@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिभत सहित “पुलिस स्थापना बोर्ड” के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut off Date 30-04-2018 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र/जोनल एवं इकाई/मुख्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 10.02.2018 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सूची भय सेवाविवरण के निर्धारित प्रारूप में जोनल प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 20.02.2018 तक पूर्ण कर लेंगे।

- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित / समेकित सूची / विवरण दिनांक: 28-02-2018 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।
- (4) लिपिक संवर्गीय कर्मियों के स्थानान्तरण हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था0(लिपिक)/2015/ 1659 दिनांक 12.08.2015 एवं डीजी-चार-स्था0-(लिपिक)/2017/ 2771 दिनांक 03.10.2017 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति एवं शासनादेश संख्या: 1447/6-पु-1-14-650(59)/02 दीसी दिनांक 10.10.2014 एवं इस मुख्यालय के पत्र दिनांक: 22-06-2017 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।`
- (5) परिक्षेत्र/ जोन/ मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाये जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (6) प्रत्येक जनपद/ कार्यालय का पदवार स्वीकृत नियतन/ उपलब्धता/ रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।
- (7) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित: 31-03-2018 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 31-03-2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।
- (8) परिक्षेत्र/ जोनल/ मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2018 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2018 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले लिपिक संवर्गीय कर्मियों के प्रार्थना—पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुए अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना—पत्र तथा पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप “क” में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इन सूचनाओं/आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद से दूरी सामान्यतया अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—

1. एक परिक्षेत्र में 12 वर्ष के आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरण:- एक परिक्षेत्र में 12 वर्ष पूर्ण किये कर्मियों की सूची अलग से उपलब्ध कराई जाय। ऐसे कर्मी यदि अन्य श्रेणी में स्थानान्तरण की पात्रता में भी हो तो इनके नाम के सम्मुख इस आशय की विशिष्ट टिप्पणी अवश्य अंकित की जाय। एक परिक्षेत्र का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने वाले लिपिक संवर्गीय कर्मियों का समायोजन सर्वप्रथम जोनल स्तर पर

किया जाये तथा जिन कर्मियों का जोन स्तर पर समायोजन सम्भव न हो उनकी सूचना संलग्न प्रारूप—ग में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

2. जनपदीय शाखा से अजनपदीय शाखा में अपेक्षित स्थानान्तरण:- ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय (1) सहायक संवर्ग के कर्मी जो, जनपदों में लगातार 8 वर्षों से या उससे अधिक अवधि से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में कभी नियुक्त नहीं रहे हैं, अर्थात् अजनपदीय शाखा के प्रथम चरण हेतु उनका नामांकन/विवरण परिशिष्ट (क) के रूप में संलग्न किया जाये।
(2) इसी प्रकार ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो लगातार 08वर्ष या उससे अधिक समय से नियुक्त हैं और अजनपदीय शाखा का प्रथम चरण पूर्ण नहीं किये हैं अर्थात् 04वर्ष से कम अवधि में नियुक्त रहे हैं, का नामांकन/विवरण परिशिष्ट(ख) के रूप में संलग्न किया जाये।
(3) ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो, अजनपदीय शाखा का प्रथम चरण 04वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपद में लगातार 08वर्षों से नियुक्त हैं अर्थात् अजनपदीय शाखा के द्वितीय चरण हेतु नामांकन/विवरण परिशिष्ट (ग) के रूप में संलग्न किया जाये।
(4) ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो अजनपदीय शाखा में द्वितीय चरण पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपद में लगातार 08वर्षों से नियुक्त हैं अर्थात् अजनपदीय शाखा में तृतीय चरण हेतु उनका नामांकन/विवरण परिशिष्ट (घ) के रूप में उपलब्ध करायी जाय।
3. अजनपदीय शाखा/मुख्यालयों से जनपदीय शाखा में अपेक्षित स्थानान्तरण:- पीएसी वाहिनियों एवं अन्य अजनपदीय इकाईयों में नियुक्त उन लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की सूची विवरण सहित जो पीएसी या अन्य अजनपदीय शाखा के कार्यकाल का प्रथम, द्वितीय चरण या तृतीय चरण 4-4 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, रैकवार एवं संवर्गवार अलग-अलग सूची परिशिष्ट (क), (ख) एवं (ग) के रूप में अलग-अलग इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभिन्न मुख्यालयों पर कार्यरत ऐसे लिपिक संवर्गीय कर्मी जिनका उपरोक्त विषयक स्थानान्तरण नीति में निर्धारित 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, का विवरण भी परिशिष्ट (घ) में उपलब्ध कराया जाय।
4. ऐसे लिपिक संवर्गीय कर्मी जिनका गृह जनपद इलाहाबाद अथवा लखनऊ है और वह जनपद लखनऊ अथवा इलाहाबाद स्थित मुख्यालयों पर कार्यरत हैं, और उनका (सम्बन्धित जनपद स्थित कार्यालय/मुख्यालय को मिलाकर)कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है का विवरण भी परिशिष्ट(च) में उपलब्ध कराया जाये।
5. उपरोक्त सम्बन्ध में भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि किसी लिपिक का नाम सूची में अंकित करने से छूटा नहीं है तथा सूची का निरीक्षण किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराकर ही वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण :-

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017 के शीर्षक “प्रशासनिक स्थानान्तरण” के बिन्दु संख्या 1 से 6 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।

4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये उनकी सूचना प्रारूप-डी में संलग्न की जाये साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाये।
- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगनआदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये स्थगन सम्बन्धी मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाये तथा प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाये।

सामान्य निर्देश

1. समयावधि पूर्ण कार्मिकों के सन्दर्भ में निर्धारित अवधि की गणना Cut of Date 30-04-2018 के आधार पर की जायेगी।

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मी अपने प्रार्थना-पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/ जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सके तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।
3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/ जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को क्रमांकित किया जाये तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाये।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा० पत्रांक: 8 / 2008 दिनांक 29.01.2008 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पी०एन०ओ०) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/ संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/ कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वार्ताविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/ संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जायें कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी०डी० तथा E Mail ID- digkarmik@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

2 अ०/१८
 (एस०बी० शिरडकर)
 अपर पुलिस महानिदेशक/
 पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग—अलग सी0डी0 में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक 28.02.2018 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद/पीएसी/रेलवे/तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/यातायात निदेशालय/विशेष जांच/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू/अभिसूचना मुख्यालय/एसटीएफ/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/रेडियो मुख्यालय/ सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस ,उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने शाखा/इकाई से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के प्रार्थना पत्र एवं सेवा विवरण सूची सहित अलग—अलग सी0डी0 में इस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में अपने जोन/परिक्षेत्र/सेक्टर/इकाई के पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक को समय से उपलब्ध करायें ताकि उनके स्तर से दिनांक 28.02.2018 तक पूर्ण सूचना इस मुख्यालय को भेजी जा सके—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक,डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षणमहाविद्यालय, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर/ए0टी0सी0 सीतापुर।
- 2— सेनानायक, आरटीसी चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 3— सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव।
- 4— पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।
- 5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0।
- 7— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उ0प्र0।
- 8— समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
- 9— पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, इलाहाबाद/झांसी/आगरा/मुरादाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।
- 10— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 11— मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक,उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

प्राप्ति—क
नाम जनपद / प्रसंग—

क्रम संख्या	पद	परिवहनी	नाम	गृह निवासी	जनसंख्या	जनसंख्या लिखि	नगरी लिखि	अनुक्रम के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले निश्चिक संचरण का विवरण																			
								जनसंखया	पूर्ण निवृत्ति जनसंखया	जनसंखया लिखि	कुल रोपण	जनसंखया लिखि	जनसंखया लिखि	जनसंखया लिखि	जनसंखया लिखि	जनसंखया लिखि											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	SI (प्राप्ति)	9-15-E-008	चान्द	सिधान (विषय)	05/02/1974	17/03/1994	गोपनीय माला	06-05-1999	26-07-2002	18	2	21	450 वर्षीय 39वीं वर्षी	17-03-1994	10-07-1995	5	1	12	23	4	8 गोपनीय	17/10/2012	4	6	13	एटा आगरा अंतर्क्रमा	(दिवांगी)
			कुमार				दवारेया	27-04-2002	17-12-2006				450 वर्षीय 39वीं वर्षी	1994-1995	04-05-1995	11-17-1995											
			सिंह				सरायीनार	18-12-2006	16-10-2012				450 वर्षीय 39वीं वर्षी	1995-1996													
							गोपनीय	17-10-2012	CONTD																		

प्राप्ति किया जाता है कि ————— के समवय में अदित्त उपरोक्त सूचनाएँ सेवा अधिकारी का भविभावित परिवर्तन फर्जे के उपरान्त दीपार की गयी है। जनसंखया एवं अनुक्रमीय लाभान्वयन की गयी रूपा अधिकारी की प्राप्ति सही है। सूची में आंकड़े सभी ऐसान्वयन पूर्णतया सत्य हैं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिये स्वयं लिखान्वयन होगा।

प्राप्ति प्राप्ति
(आपालत्प्राप्ति / प्राप्ति द्वारा दिया जायेगा)

(दिवांगी अपालत्प्राप्ति)
पदनाम एवं पुरुष

प्रारूप-स
नाम जनपद / इकाई—
पाँच

三

(ज्ञायार्लयाघ्यम् / प्रभारी इरा दिया जायेगा)

प्राणियों विषया जाता है कि —— के सम्बन्ध में अद्वितीय प्रत्यरूप सूचनाएँ सेवा अभियान का भवित्वापनी परिकल्पना फलने के प्रधान हितारण योग नहीं हैं। जनसाहित्य एवं विद्यालयों की गती सेवा अवधियों की गतान्त्रिका सहें हैं। इन्हीं में अपेक्षित विद्यालयों की गती सेवा अवधियों की गतान्त्रिका सहें हैं।

पद्मनाभ एव मुहर

प्रारूप -ग

निवासित सम्यावधि पूर्ण करने वाले निपिक्त संवर्ग को जोन से बाहर ख्यानात्मका हेतु विवरण

क्रम संख्या	पद	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय संचाचावधि	जनपदीय संचाचावधि	अजनपदीय संचाचावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	यहि कोई कर्मी स्थानात्मकाशीन है तो उसका पूर्ण विवरण	
स्थान	कब से	कब तक	कब वर्ष	कुल माह	दिन स्थान	कब से	कब तक	कुल माह	दिन वर्ष	माह	दिन वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्राप्तिकृत किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त हैं यार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखा में की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में किसी भी कर्मी का नाम छुटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रमाणी द्वारा दिया जायेगा)
प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (क)

नाम जनपद / इकाई—

जो लिपिक कर्मी जनपद में लगातार 8 वर्ष से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में कर्मी नियुक्त नहीं रहे का अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण स्थानान्तरण हेतु दिवरण

क्रमांक	पद	पीरनओं	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती जनपदीय नियुक्ति	पूर्व नियुक्ति सेवावधि	जनपदीय अजनपदीय	पूर्व नियुक्ति सेवावधि	अजनपदीय अवधि	कुल सेवा चर्तमान नियुक्ति स्थान	चर्तमान नियुक्ति तिथि	स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका आदेश संख्या दिनांक अंकित किया जाय।	कर्मी अन्यत्र हो तो उसका आदेश संख्या दिनांक स्पष्ट रूप के अंकित किया जाय।	हिस्पाणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाणित किया जाता है कि ——————के सचिव्य में अंकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभियानी परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनाये प्रतित्या भल्य हैं इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं भूर्त्र

परिशिष्ट (छ)

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिपिक कर्मी जनपद में लगातार ४वर्ष से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण ०४वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं है का अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र. सं	पद	प्रैनजों नाम	गृह जनपद	जन्म भर्ती तिथि	पूर्ण नियुक्ति जनपदीय सेवावधि	पूर्ण नियुक्ति अजनपदीय सेवावधि	अजनपदीय अवधि स्थान	कुल सेवा नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति तिथि	स्थानान्तरण का प्रकार उनका आदेश दिनांक स्पष्ट अंकित किया जाय।	यदि कर्मी अन्यत्र टिप्पणी स्थानान्तरणीन हो तो तो उनका आदेश सख्ता से लेकर लोप से							
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		

प्रमाणित किया जाता है कि _____ के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना नहीं है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य हैं इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी हासा दिया जायेगा)
(प्रमाण पत्र
पदनाम एवं मुहर)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

परिशिष्ट (ग) अजनपदीय

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिपिक कर्मी अजनपदीय प्रथम चरण ०५वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपदों में लगातार ४वर्ष से नियुक्त हैं का अजनपदीय शाखा में हितीय चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र० सं०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदों पर	जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति जनपदों पर	अजनपदीय सेवावधि	अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणीन हो तो उसका आदेश सद्या दिनांक स्टड रूप से अंकित किया जाय।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाणित किया जाता है कि _____-के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभिलेख का भलीभांति परिक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनाये पूर्णतया सत्य हैं इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

(कार्यालयाधीक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)
(हस्ताक्षर कार्यालयाधीक्ष)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाधीक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (घ)

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिपिक कर्मी अजनपदीय हितीय चरण ०४वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपदों में लगातार ४वर्ष से नियुक्त हैं का अजनपदीय शाखा में दृतीय चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र० सं०	पद प्रीरनओं नाम	गृह जनपद	जन्म भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय	जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति अजनपदीय	अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण यात्रा प्रकार	कर्मी अवधि तो संस्था	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														समयावधि
														16
														17
														18

प्रमाणित किया जाता है कि ——————के सचिव्य में अकित जपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परिक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी हैं। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य हैं इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र
(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (क)

नाम जनपद / इकाई:-

अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण ०४वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नामांकन

क्रमांक	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय	जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति अजनपदीय	अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार	यादि स्थानान्तरणीन हो तो उसका आदेश	अन्यत्र साल्या: दिनांक स्पष्ट	लघु से अंकित किया जाय।	टिप्पणी											
																		स्थान	कब से तक	कब तक वर्ष	कुल माह	दिन	स्थान	कब से तक	कब तक वर्ष	कुल माह	दिन	वर्ष माह	दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												

प्रमाणित किया जाता है कि —————— के सचिव्य में अंकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनाये पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छुटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रमाणी द्वारा दिया जायेगा)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिसिष्ट (ख) अजनपदीय

नाम जनपद / इकाई—

अजनपदीय शाखा में द्वितीय चरण ०५वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नामांकन

क्र० सं०	पद प्राप्तनको नाम	गृह जनपद	जन्म भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय अजनपदीय सेवावधि	अजनपदीय बुल्ल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार उसका आदेश संख्या:	यादि कर्मी हो तो संख्या:	अचर्चा हिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
												15
												16
												17
												18

प्रमाणित किया जाता है कि ——————के सम्बन्ध में अकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभियांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अकित सभी सूचनाये पूर्णतया सत्य है इसमें किसी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट ॥ अजनपदीय

नाम जनपद / इकाई—

अजनपदीय शाखा में तृतीय चरण 12वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नामांकन

क्रमांक	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय	जनपदीय सेवावधि	अजनपदीय सेवावधि	अजनपदीय अवधि	कुल सेवा नियुक्ति स्थान	चतमान चतमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार	यादि स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका आदेश सख्त्या दिनांक स्पष्ट	कर्मी अन्यत्र दिघी		
स्थान कब से तक वर्ष	कुल माह दिन स्थान कब से तक वर्ष	कुल माह दिन वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

प्रमाणित किया जाता है कि —————— के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त मूलनाये सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी मूलनाये पूर्णतया सत्य हैं इसमें किसी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशोषण (घ)

नाम जनपद / इकाई -

मुख्यालयों में नियुक्त निर्धारित 12वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कर्मियों का नामांकन

क्र० सं०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय	जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति अजनपदीय	अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार	योद्धा कर्मी अन्तर्राष्ट्रीय उत्सका आदेश संस्था: दिनांक स्पष्ट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रमाणित किया जाता है कि _____ के सम्बन्ध में अकिते उपरोक्त मूलनाये सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। मूली में अकित सभी सूचनाये पूर्णतया सट्ट्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छुटा नहीं है।

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रमारी द्वारा दिया जायेगा)

प्रमाण पत्र

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (च) लखनऊ / इलाहाबाद स्थित मुख्यालय

नाम जनपद / इकाई:-
लखनऊ / इलाहाबाद स्थित मुख्यालयों में नियुक्त देसे लिपिक कर्मी जिनका गृह जनपद लखनऊ अथवा इलाहाबाद है का निर्धारित कार्यकाल 12वर्ष पूर्ण हो चुका है का जनपदीय शाखा

में स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्रम संख्या	पद	प्रीएनओ	नाम जनपद	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय	जनपदीय सेवावधि	पूर्व नियुक्ति अजनपदीय	अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	स्थानान्तरण का प्रकार स्थानान्तरणाधीन जरूरता आदेश सरकार द्वारा कर्मी को अपनाए जाना जाय।	यदि कर्मी हो तो उसका आदेश सरकार द्वारा कर्मी को अपनाए जाय।	अन्यत्र हिप्पणी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

प्रमाणित किया जाता है कि —————— के सार्वत्र में अकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभिभावित परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं उजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अकित सभी सूचनाये पूर्णतया सत्य है इसमें किसी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र
(कार्यालयाध्यक्ष / प्रमाणी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

परिषिक्ट (डी)

नाम जनपद / इकाई:-
स्थानात्मरणाधीन लिपिक कर्मियों का विवरण जिन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

क्र० सं०	पद परिवर्तनों	नाम गृह जनपद	जन्म भर्ती तिथि	पूर्ण नियुक्ति जनपदीय सेवावधि	जनपदीय अजनपदीय	पूर्ण नियुक्ति अजनपदीय सेवावधि	कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्ति स्थान	वर्तमान नियुक्ति अवधि	वर्तमान नियुक्ति आदेश संख्या एवं दिनांक व स्थान	कार्यमुक्त न किये जाने हिस्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
												15
												16
												17
												18

प्रमाणित किया जाता है कि —————— के सम्बन्ध में अकित उपरोक्त सूचनाये सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अकित सभी सूचनाये पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र
(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी हासा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)
पदनाम एवं मुहर

፩፻፭

ቃልቀልን ቅድሚያዎች

፩፻፭	ማትና/ማትና	የአገልግሎት		፩፻፭
		፩፻፭	፩፻፭	
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭
፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭	፩፻፭

፩፻፭, ምትና/ማትና, የአገልግሎት, የቅርቡ እና ሰነዱዎች ጊዜ ያሳይን

आतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था०(निर्देश) / 2017/900

सेवा में,

दिनांक: जून २२ 2017

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक /
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जोनल / परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 05 वर्ष व 06 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल सम्पत्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी ना०प०/स०प० एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक / उपनिरीक्षक ना०प० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1986 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मी को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में सम्यावधि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी की राजकीय रेलवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/चौकी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनके गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक ना०पु० एवं उपनिरीक्षक ना०पु०, स०पु० को पूर्व की भाँति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी ना०पु०, स०पु० व आरक्षी पुलिस को परिक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिक्षेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के शिक्षियों के आनुपातिक सन्तुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भाँति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्य स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिवश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों के परिवारीजन/रिश्तेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 27-क में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथ्यात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अभिसूचना /एल0आई0यू0 की आख्या, कर्मी द्वारा व्यवसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथ्यात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट राय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इंगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेंगा।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय एवं जोनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन् शासनादेश दिनांकित: 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिक्षेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह बहाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यरत कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहां उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायें।

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कार्मिकों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किन्हीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-दिवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायें।

वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स०पु० के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 2- वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहां से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कार्मिकों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करें।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस आने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहां पर वह वाहय सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।

6- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपकम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पैत्रक विभाग को वापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

24/6/17
(एसएच० शिरहकर)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।

24/6/17

मेरी अरोपीवासलोग
CA-BIG ('८)

१०-३०१/आज्ञा-०६

श्री भाता प्रसाद,
गृह सचिव,
इत्तर प्रदेश शासन।

रोबा भी

पुलिस यहानिरेशक,
इत्तर प्रदेश, हाउडल
गृह(प्रोटेक्ष)अनुभाग-१

साझनक : दिनांक : 11 जुलाई, 1986।

विषय- पुलिस दल के कानूनी हेड कानूनी विधायिक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

पठावना,

उपर्युक्त विषयक साझानांदशा संख्या-३४१२/आठ-१-३१/७० दिनांक 27 जून 1983 का अधिकभण बारते हुए श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के वांस्टेबिल, हेड कानूनी विधायिक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के विषय में निन्म विळिया अपनाई जाय तथा उक्त राज्यान्देश इस सीधा तक संरक्षित संशोधन जाय।

1- किसी भी निरीक्षक अधिक अधिकारी उपनिविष्क को उसके गृह परिषेत्र में तैनात न किया जाय जो साथ ही किसी भी निरीक्षक अधिक अधिकारी उपनिविष्क को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जनपद से सोमावर्ती हो।

2- किसी भी निरीक्षक अधिक अधिकारी उपनिविष्क को एक परिषेत्र में पौर सेवा काल ये 12 वर्ष हो अधिक अवधि ताकि नियुक्ति न रखा जाय। उप निरीक्षक अधिक अधिकारी उपनिविष्क की अधिक अधिक अधिक अधिकारी उपनिविष्क को एक जनपद में 5 वर्ष से अधिक नियुक्ति न किया जाय। नियुक्ति की अधिक अधिकारी उपनिविष्क को उपनिविष्क की भेवा अधिक अधिकारी उपनिविष्क समितिलता द्वारा अपनायी जाय। अधिक अधिकारी उपनिविष्क की अधिक अधिकारी उपनिविष्क में लिए भी ताकि उपनिविष्क द्वारा अपनायी जाय।

3- अभियुक्ता विभाग के अधिकारी अभी उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर श्रोन्ति विषये जाए उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस में न की जाय अविनु उनकी नियुक्ति अनुष्ठान जाये उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस में न की जाय अविनु उनकी नियुक्ति अनुष्ठान विभाग/साक्षरता विभाग आदि में की जायेगी। नियुक्ति कानून से कम दो वर्ष अनुष्ठान विभाग/साक्षरता विभाग आदि में की जायेगी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिषेत्र एवं उपरोक्ष सोमावर्ती जिलों को लिए होनी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिषेत्र एवं उपरोक्ष सोमावर्ती जिलों के प्रतिवर्ष यात्रा जागू दीगा। यदि कोई भी निरीक्षक श्रोन्ति के लिए अनुमोदित होने के प्रवात जिला कार्यकारी दल के अधिकारी अपनी श्रोन्ति के नव नियुक्ता स्थान पर फैलाया गया होती करता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष के लिए श्रोन्ति से प्रियुक्ति कर दिया

पुलिस उप निरीक्षक (विवरण)
मुख्यालय पुलिस यहानिरेशक
उ० म०, काशीनगर

(2)

- 4- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि धाने के प्रभारी आधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ अवस्था ही रहे, अतः सामाजिकता जिन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों ने 50 वर्ष से अधिक आयु वाला कर ली हो, तब धाने का कार्यभार न दिया जाय। इस संबंध में शारीरिक स्वस्थता हेतु प्रापदण्ड अलग से जारी किये जा रहे हैं।
- 5- हेठले कानूनों संबंधी कानूनदेवित को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के राष्ट्रभवनों तक नियोजित जाय अधिकारी जिन जनपदों पर उनकी अचल सम्पत्ति हो, उन्हें भी नियुक्त किया जाय। हेठले कानूनों की एक जनपद में 10 वर्ष तथा बांटाईखिल को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेठले कानूनदेवित के विषय में डास्टल कानूनदेवित की नियुक्ति नहीं अवधि भी सम्पीड़ित होगी।
- 6- अपरोक्ष आदर्श साक्षात्कारिक प्रभाव से लागू समझे जाएगे।
- 7- कृपया इस संबंध में पुलिस ऐलेशन के संबंधित प्राप्तरों भे सम्पुष्चित संसोधन किये जाएँ। हेठले (पुलिस) अनु०-७ को स्पष्ट प्रस्ताव पेश जाय।

भवदीय

ए०-

गाना प्रसाद

सचिव

प्रेषणी नंथ : 5001(1)/अधि-1-त्रिविनांब

प्राप्तिलिपि नियुक्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक वार्तावाही हेतु प्रेषित :-

- (1) पुलिस पहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (2) पुलिस महानिरीक्षक, अधिसूचना विभाग, ड०८०।
- (3) पुलिस पहानिरीक्षक, अप०एच अनुसंधान विभाग, ड०५०।
- (4) पुलिस पहानिरीक्षक, खोप०सी०, उ०५०।
- (5) पुलिस उपमहानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, ड०५०, इलाहाबाद।
- (6) निवेशक, पुलिस ऐड्यो सेचार, ड०५० पुलिस ऐड्यो मुख्यालय, लखनऊ।
- (7) गृह (पुलिस) अनु०गा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ व गौप्त-७।
- (8) सचिव, पुलिस भौंजी जी।

आता से

न०-

अपरोक्ष सिन्धा, संचक्षण सचिव।

(2)

लोग,

उमा-797/६-५-१-१२-०१/२००१

सीमा जीकरी,
सचिव, गुरु
उमा-जासन।

सेवा में
पुणिसंगठनिकार्यक्रम
उमा-जासन।।।

गुरु (पुणिसंगठन) आमनामा-।।। संख्या २
प्रधान: पुणिसंगठन के आरंभी, गुरु आरंभी, उप निरीक्षक राधा निरीक्षण की निपुणता एवं
रथनान्तरण।।।

गढ़ोत्तम,

उमा-जासन प्रधान शासनाधीश संख्या-५००/आठ-१-०६ विचारक ११, जुलाई १९८६ का
कृपया सर्वांगीन भारतीय का काल्पनि।।।

२- उपर राखीय में गुरु यह कहने आ निषेध तुझा उमा-जासन पुणिसंगठन के कार्यकरा अंतर्थी
एवं गुरु आरंभी के स्थानन्तरण तुम्ही पात्रमान अवसरा को उम्मुक्तार आरंभी एवं गुरु आरंभी का
स्थानन्तरण उनके गुरु जनानाम दो दूरदृश्य किये जाने के बारपा हज दुषिसंगठनीयों की अवलोकिता
प्राप्तिनिर्दिष्ट निरीक्षण की अवसरा की अवलोकिता की अवलोकिता की अवलोकिता की अवलोकिता
स्थानन्तरणके गुरु जनानाम के पछीती जनानामी गुरु जनानामी गुरु जनानामी गुरु जनानामी।।।

३- उपर शासनाधीश संख्या- ५००/आठ-१-०६ विचारक ११ जुलाई, १९८६ को संगत सीमा
तम संसोधिता समझा जागेता।।।

प्रधानीय,

(लोका जीकरी)
सचिव

उमा-जासन लिखित

उग्रा की प्रति निरीक्षण को रुधमार्य एवं आरंभका कार्यकारी ऐड्यु में दित :

- (1) आपर दुषिसंगठनाकारी, कार्यकरा, उमा-जासन।।।
- (2) पुणिसंगठनीकारी स्थापना, गुरुजालपुणिसंगठनाकारी, उमा-जासन।।।
- (3) पुणिसंगठनीकारी स्थापना उमा-जासन।।।
- (4) गार्ड फाइर।।।

जामा री,

(रामेश जामा)
विशेष सचिव

विशेष सचिव

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९४

१९५

१९६

१९७

१९८

१९९

१८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९

१८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९

१८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९

FAX

संख्या: 1091/८-प्र-१-१५-८१/२००१

प्रेषक:

पुलिस भागीदारी कमीटी
उत्तर प्रदेश शासन।

(hb03)

सेवा में:

पुलिस भागीदारी कमीटी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3202
रामन

गृह (पुलिस) अनुभाग-१
विषय:-पुलिस दस्त के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दृष्टा अपने पत्र संख्या: डीजी-यार-स्था०-१०६(३७०)/२०१५, दिनांक १७-०५-२०१५ का सन्दर्भ यहन करने का काढ करें, जिसके हुआ राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के ०२ वर्ष की समयावधि के अन्तर्गत उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनदेश संख्या: १०३७/८-प्र-१-१५-८१/२००१, दिनांक ०७-०६-२०१४ में संशोधन किये जाने का प्रसाद उपलब्ध कराया गया है।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का गिरेत्र हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति पुलिस विभाग के सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक या छोड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अपरि ०२ वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सचेत गिरारोपराज्ञ निर्णय लिया गया है।

३- प्रश्नगत शासनदेश दिनांक ०७-०६-२०१४ को उत्तम सीमा तक संशोधित समझा जाए।
दृष्टा ददमुसार कार्यालयी सुनिश्चित करें।

WY
D ५१
२५-७-१५पुलिस भागीदारी कमीटी
उत्तर प्रदेशप्रधान
(मणि प्रसाद विश्व
राजिय।)

संख्या: 1091(1)/८-प्र-१-१५-८१/२००१ तथा दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधार्यार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित:-

- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, अमिस्थन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, अपराध अनुरंथान विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, पी०ए०सी०, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, राजकीय रेलवे पुलिस, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर पुलिस भागीदारी कमीटी, दूरसंचार, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
- पुलिस उप भागीदारी कमीटी, भूगोल, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- पुलिस उप भागीदारी कमीटी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उ०प्र०।
- गार्ड फाइल।

पुलिस विभागीय कार्यालय

नं० ८८४

26/७/१५

आशा से,

(व्यू लाल)
अनु संधिय।पुलिस उप भागीदारी कमीटी (फारिक)
मुख्यालय पुलिस भागीदारी कमीटी
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था०-(लिपिक)/2017/२७७/ दिनांक:लखनऊ:अगस्त ३ 2017

कार्यालय ज्ञाप

इस मुख्यालय के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०(लिपिक)/2015/1659 दिनांक: 12-08-2017 द्वारा लिपिक संवर्ग कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्गत नीति के बिन्दु संख्या-02 में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

बिन्दु संख्या	पूर्व नीति	संशोधित नीति
1	2	3
2-	कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।	कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद स्थिति मुख्यालयों के लिये लागू नहीं होगा। सम्बन्धित कर्मियों की नियुक्ति अवधि मुख्यालयों हेतु निर्धारित 12 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

अतएव उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या:02 के स्थान पर उपरोक्त कालम 03 पर संशोधित नीति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

०३/०४/१५
(एस०बी० शिरडकर)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस।
- 2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/समस्त सेनानयक, पीएसी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :-

- 5- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

मुख्यालय

मुख्यालय

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश

1- तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: डीजी-चार-स्थानीय(लिपिक)/२०१५/१६५९

दिनांक: जून २०१५, १२ २०१५

आदेश

शासनादेश संख्या: 1447 / ६-पु- १-१४- ६५०(५९) / ०२टी.सी. दिनांक: १०-१०-२०१४ द्वारा पांच संवर्गों (१-पुलिस मुख्यालय संवर्ग, २-अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग ३-अभिसूचना संवर्ग ४-जिला पुलिस संवर्ग, ५-राजकीय रेलवे पुलिस संवर्ग) के स्थान पर समरत लिपिक संवर्ग को तीन संवर्ग (१-लिपिक संवर्ग, २-लेखा लिपिक संवर्ग, ३-आशुलिपिक / गोपनीय सहायक संवर्ग) में विभक्त किया गया है।

इससे पूर्व प्रबलित व्यवस्था में स्थानान्तरण नीति परिपत्र संख्या: अठारह-३०४-८९ दिनांक: १८-११-१९८९ द्वारा निर्धारित थी, जिससे पूर्व डीजी-चार-११५(८९), दिनांक ०३.०९.८५, डीजी-चार-११५(३४२)-८५, दिनांक ०९.१२.८५ दो परिपत्रों द्वारा भी नीति निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार समय-समय पर निर्धारित नीति को अतिकमित करते हुये लिपिक संवर्ग कर्मियों के स्थानान्तरण विषयक निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:-

- 1- मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदधारकों यथा (१)लिपिक, (२)लेखा लिपिक, (३) आशुलिपिक/ गोपनीय सहायक के कर्मियों को किसी भी जनपद/ इकाई, कार्यालय या मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- 2- कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 3- मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदधारकों यथा (१)लिपिक, (२)लेखा लिपिक, (३) आशुलिपिक/ गोपनीय सहायक के कर्मियों की नियुक्ति/ स्थानान्तरण हेतु सीमावर्ती का प्रतिबन्ध रहेगा, परन्तु अजनपदीय शाखा/ मुख्यालयों में नियुक्ति कर्मियों पर यह लागू नहीं होगा।
- 4- प्रथम नियुक्ति अनिवार्यतः अजनपदीय शाखा में की जायेगी, जिसकी सामान्यतया: न्यूनतम अवधि ०४ वर्ष की होगी।
- 5- मिनिस्टीरियल संवर्ग का कोई कर्मचारी अगर नियुक्ति के समय अभिसूचना इकाई में जाने का विकल्प देता है तो उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष उसे अभिसूचना इकाई आयंटिट किये जाने पर विचार किया जायेगा, जो शेष सेवा अवधि में सामान्यतया अभिसूचना इकाई में ही नियुक्त रहेगा, केवल विशेष परिस्थितियों में अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना उ०प्र० लखनऊ की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन के उपरान्त ही किरी कर्मी को अभिसूचना इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
- 6- समस्त पदधारकों के लिये पी०१००१०, जी०१०२०१० एवं अन्य अजनपदीय शाखा/ इकाईयों में १२ वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल होगा, जिसकी नियुक्ति अवधि तीन चरणों में (०४-०४ वर्ष) में की गयी जायेगी।
- 7- अजनपदीय इकाई में प्रथम नियुक्ति ०४ वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त भी यदि कोई कर्मी अजनपदीय इकाई में बना रहना चाहता है तो सामान्यतया इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- अजनपदीय इकाई में प्रथम चरण ०४ वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त प्रत्येक ०८-०८ वर्ष के उपरान्त अजनपदीय कार्यकाल का द्वितीय व तृतीय चरण, पूर्ण किया जायेगा। प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुये किसी भी कर्मी को किसी भी समय जनपद/ शाखा में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- 9- किसी पदधारक की जहाँ वह पूर्य में नियुक्त रह चुका है, पूर्णनियुक्ति में ०३ वर्ष का न्यूनतम अन्तराल अपरिहार्य होगा।
- 10- एक जनपद में नियुक्ति की अधिकतम अवधि ०५ वर्ष होगी तथा एक परिक्षेत्र में नियुक्ति का अधिकतम कार्यकाल १२ वर्ष होगा।

- 11- इलाहाबाद स्थान पर नियुक्त मुख्यालयों को अतिरिक्त किसी भी एक जनपद में जनपदीय एवं अजनपदीय अधिकार के लिए नियुक्त अधिकारी को सम्मिलित करते हुये, कुल अधिकार 10 वर्ष से अधिक नहीं होंगे।
- 12- किसी भी स्थान पर स्थानान्तरी के अधिकतम अधिकारी की गणना में मौजूदा पद के साथ-साथ उससे नीचे के सभी पदों पर विभिन्न समय में की गई सेवा भी जोड़ी जायेगी।
- 13- निर्धारित अधिकारी पूर्ण प्रशासनिक अथवा अनुकूल्या के आधार पर कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रथमतः परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं इकाइयों के विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अपने स्तर से विचार किया जायेगा एवं सामान्यतया इस मुख्यालय को वहीं प्रकरण सन्दर्भित किये जायेंगे जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र के स्तर से विचार किया जाना सम्भव न हो।
- 14- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र० द्वारा किसी कर्मचारी को सीमान्तयः जोन/शाखा के मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु आवश्यकतानुसार किसी भी कर्मचारी को सीधे जनपद/इकाई में भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- 15- पुलिस विभाग की किसी भी शाखा/इकाई/जनपद में नियुक्त किसी भी कर्मी के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर उसे जनहित में किसी भी शाखा/इकाई/जनपद में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी स्थानान्तरित कर्मी को नवनियुक्ति स्थल पर सामान्यतयः 02 वर्ष रहना आवश्यक होगा।
- 16- गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मियों को किसी एक जनपद स्तरीय कार्यालय में कुल 03 वर्ष से अधिक अधिकारी के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही इन कर्मियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी तीन वर्ष से अधिक अधिकारी के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 17- अजनपदीय इकाई में किसी एक स्थान पर नियुक्त की अधिकतम अधिकारी चार वर्ष होगी तथा तदोपरान्त विभागाध्यक्ष एक शाखा/अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित करेंगे।
- 18- पुलिस मुख्यालय अथवा अजनपदीय विभाग में किसी मुख्यालय पर किसी एक शाखा में नियुक्ति की अधिकतम अधिकारी 04 वर्ष होगी तथा किसी भी मुख्यालय पर नियुक्ति की अधिकतम अधिकारी 12 वर्ष होगी। मुख्यालय पर कार्य की आवश्यकता, अनुरूप इस अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त ही बदला जा सकता है।
- 19- निर्धारित समय अधिकारी पूर्ण करने के उपरान्त दूसरी शाखा/इकाई में स्थानान्तरण किसी कर्मी का अधिकार नहीं होगा।
- 20- उपरोक्त निर्धारित नीति के विपरीत अगर किसी प्रकार की शिथिलता आवश्यक हो तो इसे पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उ0प्र० लखनऊ को सन्दर्भित किया जाए, जो अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त अग्रिम आदेश जारी करेंगे।
उपरोक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र०।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी सेक्टर उ0प्र०।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/समस्त सेनानयक, पीएसी उत्तर प्रदेश।